

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक-वा0क0अधि0/पू0पी0ग0)/ —/18, दिनांक : लखनऊ : 28 : नवम्बर-2018

—: आदेश :-

मुख्यालय द्वारा पूर्व निर्गत आदेशांक-2282/18 दिनांक 06.11.18 द्वारा सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण झाँसी-पीठ, झाँसी में पूर्ण पीठ से सम्बन्धित लम्बित 05 द्वितीय अपीलों के निस्तारण हेतु दिनांक 10.12.18 व 11.12.18 के लिए श्री बृजेन्द्र मणि त्रिपाठी, एच0जे0एस0, न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-झाँसी, श्री विवेक कुमार दुबे, एच0जे0एस0, न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ- प्रथम कानपुर तथा श्री अशोक कुमार गुप्ता, सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-3 कानपुर को सम्मिलित करते हुए झाँसी में पूर्ण पीठ गठित की गयी थी।

श्री बी0 एम0 त्रिपाठी, एच0जे0एस0, न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-झाँसी के पत्र सं0 379/2018 दिनांक 26.11.2018 पर सम्यक विचारोपरान्त, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेशांक-680/Admin. (Service) /2018 Dated: Allahabad :November 19, 2018 के अनुक्रम में दिनांक 10.12.2018 से 14.12.2018 तक Judicial Training & Research Institute, U.P. Lucknow स्थित गठित ट्रेनिंग में श्री बृजेन्द्र मणि त्रिपाठी, एच0जे0एस0, न्यायिक सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-झाँसी को नामित किये जाने के फलस्वरूप झाँसी में गठित पूर्ण पीठ दिनांक 10.12.18 व 11.12.18, तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है।

तदनुसार सम्बन्धित अधिकारियों को अवगत कराया जाये।

(प्रेम कला सिंह)

एच0जे0एस0,

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन - वा0क0अधि0/पू0पी0ग0/2421/2018, तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1--सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण झाँसी-पीठ झाँसी।
- 2--सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण कानपुर पीठ-प्रथम/तृतीय कानपुर।
- 3--कमिश्नर, वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 4--मुन्सरिम/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता/विवरण/कम्प्यूटर) मुख्यालय।
- 5--सम्बन्धित अधिवक्ता रांघ के अध्यक्ष/सचिव, द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से,



निबन्धक,

वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।